

सं०सं०-5 बजट (1) 28/2022 17.10 (वि)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:-

राँची/दिनांक 08/08/22  
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजनान्तर्गत फीड बेस्ड फिशरीज योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल मो० 774.78 लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख अठत्तर हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "फीड बेस्ड फिशरीज" के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत स्वीकृत बजटीय उपबंध मो० 800.00 लाख रु० मात्र के विरुद्ध मो० 774.78 लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख अठत्तर हजार) रुपये के व्यय पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. "फीड बेस्ड फिशरीज" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत राशि से मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के साथ ही राँची, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार संचालन किया जाना है।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० 774.78 लाख (सात करोड़ चौहत्तर लाख अठत्तर हजार) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-

क्र०	मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	(राशि लाख रु० में)	
		बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 24050010156010323	310.00	309.98
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-37-विद्युत व्यय 53 S 24050010156010337	20.00	20.00
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 24050010156010759	6.00	6.00
उप योग :		336.00	335.98
4	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 24050078956010323	80.00	79.86
उप योग :		80.00	79.86

क्र०	मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
5	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 24050079656010323	353.00	352.94
6	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज- विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53 S 24050079656010544	25.00	0.00
7	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज- विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 24050079656010759	6.00	6.00
उप योग :		384.00	358.94
कुल योग :		800.00	774.78

(सात करोड़ चौहत्तर लाख अठत्तर हजार) रु० मात्र।

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।
- योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।
- योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- कंडिका '3' के तालिका के क्रमांक - 3 एवं 7 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही इसी तालिका के क्रमांक - 2 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से रामगढ़, कोडरमा, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।
- विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अथवा 22/- रु० प्रति कि०ग्रा० अधिकतम अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त 2 mm से बड़े 4 mm तक का फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।  
विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झारखण्ड फिश से उत्पादित फिश फीड अथवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सरकारी अनुदान से स्थापित फिश फीड मिल से उत्पादित फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रूप में ही दिया जाएगा।
- उपर्युक्त कंडिका 8 के अतिरिक्त विगत वित्तीय वर्ष 2021-22 की भांति ही मत्स्य पालकों को 2mm अथवा इससे छोटे साइज के फैंक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 18/-रु० प्रति किलोग्राम फीड की दर से ही अनुदान देय होगा।  
एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2mm अथवा इससे छोटे साइज के फैंक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रम पर 18/-रु० प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 12600/- (बारह हजार छः सौ) रु० अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी०बी०टी० की जायेगी। इसी प्रकार रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मछली उत्पादन हेतु एक लाभुक को अधिकतम कुल 5000 किलोग्राम 2mm तक अथवा इससे बड़े साइज के फैंक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रम पर 18/-रु० प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी०बी०टी० की जायेगी।

3/11/22

16/11/22

10. कंडिका 8 एवं 9 के अतिरिक्त केज मत्स्य पालकों को प्रथम चरण में 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 18/-रु० प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 1200 किलोग्राम 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रम पर 18/-रु० प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 21600/- (इक्कीस हजार छः सौ) रु० अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी०बी०टी० की जायेगी।

11. केज मत्स्य पालकों के चयन में यह ध्यान रखा जाय कि लाभुक सक्रिम केज मत्स्य पालक हो तथा उसके द्वारा केज में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा हो। उसके पास कम से कम पिछले दो crop का रिकॉर्ड हो। केज गतिविधियों (मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली, मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा बिक्री की गई मछलियों का data) से नियमित रूप से जिला मत्स्य कार्यालय को अवगत कराने के लिए सहमत हो।

12. जिला मत्स्य पदाधिकारी लाभुकवार मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली (कि० ग्रा० अथवा टन में) की विवरणी प्राप्त करेंगे। मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा उपलब्ध मछलियों (यदि संचित मछलियों में से बिक्री की गई हो तो शेष उपलब्ध मछलियों) के अनुरूप ही चार किस्तों में लाभुक को अनुदान देय होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में लाभुकवार प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित कर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस्तवार देय अनुदान उपलब्ध स्टॉक तथा इसके लिए आवश्यक समानुपातिक फीड के अनुरूप हो।

13. लाभुक द्वारा 2mm अथवा इससे छोटे साईज/2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) का वास्तविक रूप में क्रम किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी०बी०टी० नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 18/-रु० प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो। साथ ही समय-समय पर फोटोग्राफी की भी जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन के लिए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

16. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं० - सी०एस० - 2/ आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

17. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

18. वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो० 374.98 लाख रु० मात्र (मुख्य शीर्ष-2405 एवं मुख्य शीर्ष-4405 मिलाकर) में मो० 260.02 लाख रु० मात्र का व्यय हुआ है।

19. वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।
20. जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो। विषयगत योजनान्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रम में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जाय।
21. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय।
22. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्धीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 17 रा० (वि०) / रॉची, दिनांक 08/08/22  
 प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 17 रा० (वि०) / रॉची, दिनांक 08/08/22  
 प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची / संयुक्त मत्स्य निदेशक / उप मत्स्य निदेशक (सभी) / प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश / जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) / मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 17 रा० (वि०) / रॉची, दिनांक 08/08/22  
 प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, रॉची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

3<sup>rd</sup>  
 21/7

17/11/22  
08/08/22

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2022-23 में फीड बैक फिशरीज योजना का मासिक एवं वित्तीय लेख

101-अनुसंधानीय मछली पालन

2405-गोदानी पालन उप शीर्ष-58-फीड बैक फिशरीज

796-जनजातीय क्षेत्र उपवर्ग

798-अनुसंधानीय उद्योगों के लिए विशेष मदक योजना

क्र०	विला का नाम	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री		कुल मासिक लेख (लाख ₹)	कुल वित्तीय लेख (लाख ₹)
		मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)	मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)	मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)	मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)	मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)	मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)	मासिक लेख (₹)	वित्तीय लेख (₹)		
1	रोली	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	20	69.40
2	खुटी	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	370	69.40
3	गुमला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	19.40
4	रिसडगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	19.80
5	लडरगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	20.30
6	लडरगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	10	21.00
7	गो रिसडगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	7.30
8	दुर्गा रिसडगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	10	33.00
9	तरायकला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	8.00
10	रुमका	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	30	517
11	जानताडा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	10	210
12	साहेबगंज	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	115
13	पडकुड	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	5	25
14	हजारीबाग	150	27.000	100	22.000	90	16.200	0	0.000	30	5.400	0	0.000	0	0.000	85	16.70
15	रामगड	60	10.800	40	8.800	40	7.200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	25	365
16	कांडरगा	100	18.000	100	22.000	84	15.120	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	20	550
17	कांडरगा	20	3.600	20	4.400	30	5.400	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	38	322
18	कांडरगा	140	25.200	100	22.000	70	12.600	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	20	65.48
19	फिफिडीह	30	5.400	20	4.400	30	5.400	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	30	17.80
20	इनाबाद	40	7.200	40	8.800	40	7.200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	20	340
21	गडगा	14	2.520	20	4.400	20	3.600	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	15	75.90
22	पडगा	14	2.520	10	2.200	20	3.600	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	20	340
23	पडगा	14	2.520	20	4.400	10	1.800	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	15	19.60
24	डंगर	55	9.900	30	6.600	40	7.200	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	15	100
	योग	637	114.660	500	110.000	474	85.320	20,000	6,000	550	99,000	467	102,740	840	151,200	363	79,860
																3831	774.78

(कृपया विलों को आवेदन नहीं समझा जाए)

(सकल करीब चौदह लाख अंशों का योग)

Sum Sheet

(अनुसंधानीय उद्योगों के लिए विशेष मदक योजना)